ए.

रफिक कुरैशी

वी.

एन. ए. आर. सी. ओ. टी. आई. सी. कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट (2019 की आपराधिक अपील संख्या 567)

बी.

07 मई, 2019

[अशोक भूषण और के**.** एम**.** जोसेफ**,** जे**.** जे**.]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985।15(a), 16,21 (c), 31,32B-s की व्याख्या।32 बी-अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और यू/एस को सजा सुनाई गई। 21(ग) 18 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना-उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, सजा को घटाकर 16 साल कठोर कारावास कर दिया-अपीलार्थी द्वारा अपील में, सर्वोच्च न्यायालय ने सजा की मात्रा तक सीमित नोटिस जारी किया-आयोजितः1985 अधिनियम विभिन्न अपराधों की गणना करता है और सजा का प्रावधान करता है-विभिन्न धाराओं में विभिन्न दंडों का प्रावधान है-कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यूनतम और अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है, हालांकि, वे सजा के संबंध में किसी भी विधायी नीति का संकेत नहीं देते हैं-वर्तमान मामले में, दोषसिद्धि को यू/एस दर्ज किया गया है। 21(ग) -धारा 21 (ग) में प्रावधान है कि कठोर कारावास "दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो बीस वर्ष तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा" -s.32B को सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए क़ानून में लाया गया है-खंड (ए) से (एफ) एस में।32 बी कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए विभिन्न कारकों की गणना करता है-सांविधिक योजना इंगित करती है कि न्यूनतम से अधिक सजा देने का निर्णय खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित कारकों तक सीमित या सीमित नहीं है-ऐसे कारकों पर विचार करने के लिए न्यायालय के विवेकाधिकार को जो वह उचित समझे, दूर या छेड़छाड़ नहीं किया जाता है-उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि अपीलकर्ता के कब्जे में पाई गई हीरोइन की वास्तविक मात्रा 8.175 किलोग्राम हेरोइन की कथित मात्रा के मुकाबले 609.6gm

थी, जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक है, इस प्रकार न्यूनतम से अधिक सजा देना उचित है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय का निर्णय न्यूनतम से अधिक सजा देना उचित है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

248 ए.

249

आर. ए. एफ. आई. क्यूरेशी बनाम एन. ए. आर. सी. ओ. टी. आई. सी. कंट्रोल ब्यूरू ई. एस. टी. आर. एन. जोनल यूनिट ए

16 साल से 12 साल तक की सजा-अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार-12 साल के कठोर कारावास से गुजरने की सजा, रुपये के साथ। 2 लाख का जुर्माना, जिसका भुगतान न करने पर अपीलार्थी को छह महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा-सजा-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2001।

बी.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट**, 1985** विभिन्न अपराधों की गणना करता है और सजा का प्रावधान करता है।वर्तमान मामले में धारा **21 (**सी**)** के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई थी।धारा **32** को **2001** के अधिनियम **9** द्वारा **1985** के अधिनियम में **02.10.2001** से जोड़ा गया था।अधिनियम**, 1985** के विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन इंगित करता है कि विभिन्न धाराओं में अलग**-**अलग दंड का प्रावधान है।धारा **21 (**सी**)** में प्रावधान है कि कठोर कारावास "दस साल से कम नहीं होगा**,** लेकिन जो बीस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"विभिन्न अन्य धाराओं में दंड धारा **15 (**ए**)** की तरह हैं जो एक वर्ष तक बढ़ सकते हैं या धारा **16** के अनुसार जुर्माने के साथ जो दस वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ।इस प्रकार**,** कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है।हालाँकि**,** अलग**-**अलग प्रावधान सजा देने के संबंध में किसी भी विधायी नीति का संकेत नहीं देते हैं**,** विशेष रूप से

जब न्यूनतम और अधिकतम सजा निर्धारित की जाती है, तो सजा कैसे निर्धारित की जाए। **2001** के अधिनियम **9** द्वारा, धारा **31** को प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों में से किसी को करने, या करने का प्रयास करने, या उकसाने या आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है, बाद में अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए कठोर कारावास के साथ एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो कारावास की अधिकतम अवधि के डेढ़ गुना तक हो सकता है।**[**पारस **8-10] [254-C; 255-A; G-H; 256-A-B]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.2 उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि संशोधन अधिनियम ने सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रावधान जोड़े हैं।धारा **32** बी एक प्रावधान है जिसे सजा देने की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए क़ानून में लाया गया है।खंड **(**ए**)** से **(**एफ**)** तक की धारा **32** बी कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए विभिन्न कारकों की गणना करती है।द**.**

एच.

अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायालय अभियुक्त की सुनवाई करता है और उचित दोषसिद्धि देने के लिए अभियुक्त की विभिन्न परिस्थितियों और अपराध को ध्यान में रखता है।धारा **32** बी इस वाक्यांश का उपयोग करती है "अदालत, ऐसे कारकों के अलावा, जो वह उचित समझे, कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रख सकती है।"उपरोक्त वैधानिक योजना स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को इंगित करती हैः**(**क**)** न्यायालय, जहाँ न्यूनतम सजा की अवधि निर्धारित की गई है, कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा अधिरोपित करने के लिए "ऐसे कारकों को ध्यान में रख सकता है जो वह उचित समझे"; **(**ख**)** इसके अलावा, खंड **(**क**)** से **(**च**)** में उल्लिखित न्यूनतम से अधिक सजा अधिरोपित करने के कारकों को भी ध्यान में रख सकता है।**[**पारस **12,14] [256-**जी**-**एच**; 257-**ए**;** सी**-**एफ**]**

बी.

सी.

1.3 सांविधिक योजना इंगित करती है कि न्यूनतम से अधिक दंड अधिरोपित करने का निर्णय खंड **(**क**)** से **(**च**)** में उल्लिखित कारकों तक सीमित या सीमित नहीं है।न्यायालय के ऐसे कारकों पर विचार करने के विवेकाधिकार को दूर या छेड़छाड़ नहीं किया जाता है जो वह उचित समझता है।यदि किसी व्यक्ति के पास एक निर्मित दवा पाई जाती है जिसकी मात्रा वाणिज्यिक मात्रा के बराबर है**,** तो धारा **21 (**सी**)** के अनुसार सजा दस साल से कम नहीं होनी चाहिए जो बीस साल तक बढ़ सकती है।लेकिन मान लीजिए कि निर्मित दवा की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा का **20** गुना है**,** तो न्यूनतम से अधिक सजा देना एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।इस प्रकार**,** पदार्थ की मात्रा जिसके साथ एक आरोपी पर आरोप लगाया जाता है**,** एक प्रासंगिक कारक है**,** जिसे सजा की मात्रा तय करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।धारा **32** बी में उल्लिखित खंड **(**ए**)** से **(**एफ**)** दंड निर्धारित करने के लिए एक कारक के रूप में पदार्थ की मात्रा के संबंध में किसी भी कारक की गणना नहीं करते हैं।यदि न्यायालय उस मात्रा के परिमाण को ध्यान में रखता है जिसके संबंध में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उक्त कारक प्रासंगिक कारक है और न्यायालय को ऐसे किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए त्रुटि करने के लिए नहीं कहा जा सकता है**,** जो सजा की न्यूनतम अवधि से अधिक है।धारा **32** ख में उपयोग किए गए विशिष्ट शब्द जो न्यायालय**,** ऐसे कारकों के अलावा**,** जो वह उचित समझे**,** स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि न्यायालय का ऐसा कारक लेने का विवेकाधिकार जो वह उचित समझे**,** उन कारकों से बाधित नहीं है जो धारा **32** ख के खंड **(**क**)** से **(**च**)** में गिने गए हैं। **[**पैरा **15,17] [257-**एफ**-**एच**; 258-**ए**-**बी**;** जी**]** ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

251

आर. ए. एफ. आई. क्यूरेशी बनाम एन. ए. आर. सी. ओ. टी. आई. सी. कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट ए

1.4 पदार्थ की मात्रा के आधार पर न्यूनतम से अधिक सजा के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को दोष नहीं दिया जा सकता है**,** भले ही अदालत ने धारा **32** बी के तहत खंड **(**ए**)** से **(**बी**)** में उल्लिखित कारकों को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि**,** धारा **32** बी**,**

(ए**)** से **(**एफ**)** में उल्लिखित कारकों के अलावा किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए**,** न्यायालय न्यूनतम सजा से अधिक सजा देता है**,** इसकी उच्च न्यायालयों द्वारा जांच की जा सकती है कि क्या न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया कारक एक प्रासंगिक कारक है या नहीं।इस प्रकार**,** ऐसे मामले में जहां न्यायालय एक अप्रासंगिक कारक पर निर्भर करते हुए न्यूनतम से अधिक दंड लगाता है और धारा **32** बी **(**ए से एफ**)** में उल्लिखित कोई अन्य कारक मौजूद नहीं है**,** न्यूनतम से अधिक सजा के अधिनिर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकता है। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अपीलार्थी से हेरोइन की कुल मात्रा **8.175** किलोग्राम बरामद की गई थी**,** लेकिन हीरोइन की वास्तविक मात्रा जो कब्जे में पाई गई थी**,** केवल **609.6** ग्राम थी।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि **609.6** ग्राम की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पास मादक पदार्थ पाए गए थे।जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक है**,** न्यूनतम से अधिक सजा उचित है।उच्च न्यायालय ने सजा को **18** साल से घटाकर **16** साल कर दिया।निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम से अधिक सजा देने के फैसले को बरकरार रखा गया है**,** हालांकि**,** वर्तमान मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए**,** इस तथ्य सहित कि उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि अपीलकर्ता केवल एक वाहक था**,** सजा को **16** साल से घटाकर **12** साल करने में न्याय के उद्देश्यों को कम किया जाएगा।इस प्रकार**,** अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए**,** अपीलार्थी को **12** साल के कठोर कारावास और **5** लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। **2** लाख और इस तरह के जुर्माने के भुगतान के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।**[**पारस **22,23] [261-**ए**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य **(2004) 5** एससीसी

जी.

518 :[2004] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 723-**निर्भर।

राम आसरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2015 की जेल अपील संख्या 894 में 14.12.2017 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय;

कृष्ण मुरारी पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का निर्णय

2008 की आपराधिक अपील **No.4301** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय**-**अनुमोदित।

एच.

252 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 7 एस. सी. आर.

राज कुमार वाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2016) 95** एसीआरसी

896 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय**)-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2004] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 723** पर निर्भर

पैरा **16 (2016) 95** ए**.** सी**.** आर**.** सी**. 896** पैरा **18** को संदर्भित

बी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 567।

2014 के सी. आर. ए. सं. 661 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांक 17.04.2018 के निर्णय और आदेश से।

सी.

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., सुश्री प्रवीण गौतम, सुश्री सीमा बेनगनी, अनस जैदी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।पी. एस. नरसिम्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. श्रीनिवास आर. राव, शरत एस. जनार्दन, के. नरसिम्हा मूर्ति, राहुल टी., वी. सी. शुक्ला, सुंदोरा वी. एन. एल., आबिद अली बीरन पी., अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण**,** जे।

1. यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21 (सी) के तहत अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी गई है।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था और धारा 21 (सी) के तहत उसे अठारह साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 2 लाख रुपये का जुर्माना देने और चूक करने पर बारह महीने के कारावास की सजा सुनाई थी।उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए सजा को घटाकर सोलह साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने तक कर दिया है। 2 लाख और इस तरह के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, अपीलार्थी को छह महीने के लिए

साधारण कारावास से गुजरना पड़ा।उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ यह अपील दायर की गई है।इस न्यायालय ने सजा की मात्रा तक सीमित 26.11.2018 पर नोटिस जारी किया।

ई.

एफ.

जी.

2. हमने अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी की ओर से पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

एच.

253

रफिक कुरैशी बनाम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट [अशोक भूषण, जे.] ए.

ए.

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दस साल से अधिक की सजा नहीं दी जा सकती थी, जो कि धारा 21 (सी) के तहत अपराध के लिए प्रदान की गई न्यूनतम सजा है, क्योंकि नीचे दिए गए न्यायालय ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 32 बी का विज्ञापन नहीं किया है और कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया है कि खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए कोई भी कारक वर्तमान मामले के तथ्यों में मौजूद हैं।वह प्रस्तुत करता है कि कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा धारा 32 बी के अनुसार तभी दी जा सकती है जब (ए) से (एफ) तक 32 बी में गिने गए कारकों में से कोई भी मौजूद हो।वर्तमान मामले के तथ्यों में मौजूद खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित कोई उत्तेजक कारक नहीं होने के कारण, अपीलार्थी को केवल दस साल की सजा दी जा सकती थी, जो धारा 21 (सी) के तहत सजा के लिए न्यूनतम सजा है।

बी.

सी.

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है जहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि धारा 32 बी में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखे बिना, निचली अदालत न्यूनतम सजा से अधिक नहीं दे सकती है। उन्होंने राज में दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

डी.

कुमार वाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2016) 95** ए**.** सी**.** आर**.** सी**. 896** में रिपोर्ट किया गया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दलीलों का खंडन करते हुए, राम आसरे बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया है। यू. पी. राज्य ने 2015 की जेल अपील संख्या 894 में यह निर्णय लिया कि जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा है कि अदालत के लिए धारा 32 बी के खंड (ए) से (एफ) में गिने गए कारकों को ध्यान में रखने की कोई बाध्यता नहीं है, जबकि न्यूनतम से अधिक सजा दी जाती है जो निर्धारित की गई थी।

ई.

एफ.

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. वर्तमान अपील में जो मुख्य मुद्दे सामने आए हैं, वे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 32 बी की व्याख्या से संबंधित हैं।मुद्दे इस प्रकार हैंः-

जी.

i) क्या खंड (क) से खंड (च) तक धारा 32 ख में उल्लिखित किसी भी कारक के अभाव में, क्या विचारण न्यायालय

एच.

कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा दी जा सकती थी।

(ख) क्या निचली अदालत कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देते समय खंड (क) से (च) में उल्लिखित कारकों के अलावा किसी अन्य कारक को ध्यान में नहीं रख सकी?

बी.

दोनों मुद्दे संबंधित होने के कारण, हम एक साथ मुद्दों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

8. नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 विभिन्न अपराधों की गणना करता है और सजा का प्रावधान करता है।वर्तमान मामले में धारा 21 (सी) के तहत दोषसिद्धि दर्ज की गई है।धारा 21 जो मामले के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

सी.

"21. विनिर्मित के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड

दवाएँ और तैयारी।- जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश या लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करते हुए, निर्माण करता है, रखता है, बेचता है, खरीदता है, परिवहन करता है, अंतर-राज्य आयात करता है, अंतर-राज्य निर्यात करता है या किसी निर्मित दवा या किसी निर्मित दवा वाली किसी भी तैयारी का उपयोग करता है, वह दंडनीय होगा।

डी.

(क) जहाँ उल्लंघन में कम मात्रा शामिल है, जिसमें एक वर्ष तक की अवधि के लिए कठोर कारावास या दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों शामिल हैं;

ई.

(ख) जहां उल्लंघन की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन छोटी मात्रा से अधिक है, जिसमें दस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ; (ग) जहां उल्लंघन में वाणिज्यिक मात्रा शामिल है, जिसमें दस साल से कम नहीं, बल्कि बीस साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो लाख रुपये तक हो सकता हैःबशर्ते कि न्यायालय निर्णय में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकता है।"

एफ.

जी.

9. धारा 32 जिसके साथ हम वर्तमान मामले ए में संबंधित हैं

एच.

255

रफिक कुरैशी बनाम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट [अशोक भूषण, जे.] ए.

2001 के अधिनियम 9 द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में निम्नलिखित प्रभाव से जोड़ा गया थाः-

“ 32 ख. न्यूनतम दंड से अधिक दंड लगाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारक।- जहाँ न्यूनतम अवधि

इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी अपराध के लिए कारावास या जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है, न्यायालय, ऐसे कारकों के अलावा, जो वह उचित समझे, कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रख सकता है, अर्थात्:-

बी.

(क) अपराधी द्वारा हिंसा या हथियारों के उपयोग का उपयोग या धमकी;

सी.

(ख) यह तथ्य कि अपराधी एक सार्वजनिक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है;

(ग) यह तथ्य कि नाबालिग अपराध से प्रभावित हैं या नाबालिगों का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है; (घ) यह तथ्य कि अपराध किसी शैक्षणिक संस्थान या समाज सेवा सुविधा में या ऐसे संस्थान या संकाय के निकटवर्ती क्षेत्र में या किसी अन्य स्थान पर किया गया है जहां स्कूली बच्चे और छात्र शैक्षिक, खेल और सामाजिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं।;

डी.

ई.

(ई) यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतर्राष्ट्रीय या किसी अन्य आपराधिक समूह से संबंधित है जो अपराध करने में शामिल है; और

(च) यह तथ्य कि अपराधी अपराध करने से सुगम अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल है।”

एफ.

10. अधिनियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन इंगित करता है कि विभिन्न धाराओं में अलग-अलग दंड का प्रावधान है।ऊपर देखी गई धारा 21 (सी) में प्रावधान है कि कठोर कारावास "दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो बीस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"विभिन्न अन्य धाराओं में दंड धारा 15 (ए) की तरह हैं जो एक वर्ष तक बढ़ सकते हैं या धारा 16 के अनुसार जुर्माने के साथ जो दस वर्ष तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ।इस प्रकार, कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है।हालाँकि, अलग-अलग प्रावधान इंगित नहीं करते हैं

जी.

सजा देने के संबंध में कोई भी विधायी नीति, विशेष रूप से जब न्यूनतम और अधिकतम सजा निर्धारित की जाती है, तो सजा कैसे निर्धारित की जाए।2001 के अधिनियम 9 द्वारा, धारा 31 को प्रतिस्थापित किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों में से किसी को करने, या करने का प्रयास करने, या उकसाने या आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया है, बाद में अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए कठोर कारावास के साथ एक अवधि के लिए दंडित किया जाएगा जो कारावास की अधिकतम अवधि के डेढ़ गुना तक हो सकता है।

बी.

11. 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 32 बी भी जोड़ी गई है।2001 के संशोधन अधिनियम 9 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख करना उपयोगी है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

सी.

"उद्देश्यों और कारणों का विवरणः-

2001 का संशोधन अधिनियम 9:- मादक पदार्थ और

साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए निवारक सजा प्रदान करता है।अधिकांश अपराधों में न्यूनतम दस साल के कठोर कारावास की समान सजा दी जाती है जो बीस साल तक बढ़ सकती है।जबकि अधिनियम में नशीली दवाओं के तस्करों के लिए गंभीर दंड की परिकल्पना की गई है, यह नशे की लत के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण की परिकल्पना करता है।मुकदमे में सामान्य देरी को देखते हुए यह पाया गया है कि नशेड़ी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं करना पसंद करते हैं। अधिनियम के तहत जमानत के सख्त प्रावधान उनके दुख को बढ़ाते हैं।इसलिए, सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का व्यापार करने वाले नशीली दवाओं के तस्करों को निवारक सजा दी जाए, जबकि नशेड़ी और कम गंभीर अपराध करने वालों को कम गंभीर सजा दी जाए।इसके लिए अधिनियम के तहत प्रदान की गई सजा

संरचना को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों के लिए सख्त जमानत प्रावधानों के आवेदन को प्रतिबंधित करने का भी प्रस्ताव है।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

12. उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि संशोधन अधिनियम ने सजा की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रावधान जोड़े हैं।धारा 32 बी एक प्रावधान है जिसे सजा देने की संरचना को तर्कसंगत बनाने के लिए क़ानून में लाया गया है।खंड ए से धारा 32 बी

एच.

257

रफिक कुरैशी बनाम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट [अशोक भूषण, जे.] ए.

(क) से (च) कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक की सजा देने के लिए विभिन्न कारकों की गणना करता है।

13. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन यह है कि जब तक किसी मामले के तथ्यों में खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित कोई भी कारक मौजूद नहीं हैं, तब तक न्यायालय कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा नहीं दे सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि न्यूनतम से अधिक सजा देने के उद्देश्य से कानून में कारक लाए गए हैं, इसलिए, ऐसे किसी भी कारक के अभाव में केवल न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए।

बी.

14. धारा 32 बी डालने के उद्देश्य और उद्देश्य का पता लगाने के लिए हमें पहले क़ानून में उपयोग किए गए वास्तविक शब्दों को देखना होगा। अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायालय अभियुक्त की सुनवाई करता है और उचित दोषसिद्धि देने के लिए अभियुक्त की विभिन्न परिस्थितियों और अपराध को ध्यान में रखता है।धारा 32 बी में इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है कि "न्यायालय,

सी.

कारावास की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखें।उपरोक्त वैधानिक योजना

डी.

स्पष्ट रूप से निम्नलिखित इंगित करता हैः(क) न्यायालय जहाँ न्यूनतम सजा की अवधि निर्धारित की गई है, कारावास या जुर्माने की न्यूनतम अवधि से अधिक सजा देने के लिए "ऐसे कारकों को ध्यान में रख सकता है जो वह उचित समझे";

ई.

(ख) इसके अलावा, खंड (क) से (च) में उल्लिखित न्यूनतम से अधिक दंड अधिरोपित करने के कारकों को ध्यान में रखें।

15. सांविधिक योजना इंगित करती है कि न्यूनतम से अधिक दंड अधिरोपित करने का निर्णय खंड (क) से (च) में उल्लिखित कारकों तक सीमित या सीमित नहीं है।न्यायालय के ऐसे कारकों पर विचार करने के विवेकाधिकार को दूर नहीं किया जाता है या छेड़छाड़ नहीं की जाती है जो वह उचित समझता है।एक मामले में एक व्यक्ति के पास एक निर्मित दवा पाई जाती है जिसकी मात्रा वाणिज्यिक मात्रा के बराबर है, धारा 21 (सी) के अनुसार सजा दस साल से कम नहीं होनी चाहिए जो बीस साल तक बढ़ सकती है।लेकिन मान लीजिए कि निर्मित दवा की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा का 20 गुना है, तो न्यूनतम से अधिक सजा देना एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।इस प्रकार, पदार्थ की मात्रा जिसके साथ एक आरोपी को आरोपित किया जाता है

एफ.

जी.

एच.

यह एक प्रासंगिक कारक है, जिसे सजा की मात्रा तय करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। धारा 32 बी में उल्लिखित खंड (ए) से (एफ) दंड निर्धारित करने के लिए एक कारक के रूप में पदार्थ की मात्रा के संबंध में किसी भी कारक की गणना नहीं करते हैं।यदि न्यायालय उस मात्रा के परिमाण को ध्यान में रखता है जिसके संबंध में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उक्त कारक प्रासंगिक कारक है और न्यायालय को ऐसे किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए त्रुटि करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जो सजा की न्यूनतम अवधि से अधिक है।

बी.

16. यह न्यायालय साक्षी बनाम भारत संघ और अन्य, (2004) 5

एस. सी. सी. 518 ने माना कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि विधायिका का इरादा मुख्य रूप से उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।एक ऐसी संरचना जिससे इसके समर्थन के लिए शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, से बचना चाहिए।निर्णय के पैराग्राफ 19 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया थाः

सी.

“19. यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि विधायिका का इरादा मुख्य रूप से उपयोग की गई भाषा से एकत्र किया जाना है, जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।परिणामस्वरूप एक ऐसी संरचना से बचना चाहिए जिसके लिए शब्दों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अर्थहीन के रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है।किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो।इसी तरह कानून के शब्दों के लिए कुछ अन्य शब्दों को प्रतिस्थापित करके आगे बढ़ना गलत और खतरनाक है।यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी अपराध को लागू करने या जुर्माना लगाने वाले कानून का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है।यह तथ्य कि एक अधिनियम एक दंडात्मक प्रावधान है, अपने आप में इसमें उपयोग किए गए वाक्यांशों को एक व्यापक अर्थ देने से पहले संकोच करने का एक कारण है जो वे सामान्य रूप से वहन करते हैं।(न्यायमूर्ति जी. पी. सिंहःसांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, पृष्ठ 58 और 751,9 वीं संस्करण।) "

डी.

ई.

एफ.

17. धारा **32** ख में उपयोग किए गए विशिष्ट शब्द जिनमें न्यायालय**,**

ऐसे कारकों को जोड़ना जो इसे उपयुक्त मान सकते हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि

जी.

ऐसे कारक को लेने का न्यायालय का विवेकाधिकार जो वह उचित समझे, उन कारकों से बाधित नहीं है जो धारा 32 बी के खंड (ए) से (एफ) में गिने गए हैं। 18.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राज कुमार बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 95 एसीआरसी 896 में रिपोर्ट किए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ए

एच.

259

रफिक कुरैशी बनाम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट [अशोक भूषण, जे.] ए.

न्यायालय ने अधिनियम की धारा 32 बी का उल्लेख करते हुए पैराग्राफ 39 और 40 में निम्नलिखित कहाः

“39. विवादित निर्णय और आदेश को बहुत सावधानी से देखने के बाद, मैंने पाया कि निचली अदालत एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दोषी ठहराए जाने पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम दोषसिद्धि से अधिक दंड लगाते हुए, अपीलकर्ता एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 32 (बी) में उल्लिखित कारकों का विज्ञापन करने में भी विफल रही है। वास्तव में, विवादित निर्णय में कोई भी कारण सामने नहीं आ रहा है जो निचली अदालत को अपीलार्थीगण पर अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम दोषसिद्धि से अधिक दंड लगाने के लिए प्रेरित करता है।

बी.

सी.

40. अभिलेख पर साक्ष्य को देखने के बाद, मुझे संतोष है कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 32 (बी) में वर्णित कोई भी कारक मौजूद नहीं है जो निचली अदालत को अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा से अधिक देने के लिए प्रेरित कर सकता था। इस प्रकार अपीलार्थीगण को दी गई सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है।धारा 8/20 के तहत अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, मैं इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई सजा को संशोधित करके 10 साल आर. आई. और 1 लाख रुपये का जुर्माना करता हूं और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर अपीलकर्ता एक महीने तक के साधारण कारावास से गुजरने के लिए उत्तरदायी होंगे।विवादित निर्णय को तदनुसार संशोधित किया गया है।”

डी.

ई.

19. यद्यपि उपरोक्त निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि न्यूनतम से अधिक दंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि धारा 32 बी में उल्लिखित कारकों में से कोई भी मौजूद न हो, लेकिन न्यायालय उपरोक्त आधार पर उच्च दंड के अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों के दो अन्य निर्णय हैं जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं।पहला 2008 की आपराधिक अपील No.4301 में एकल न्यायाधीश का निर्णय है, कृष्ण मुरारी पाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य,

जहाँ पैराग्राफ 13 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित शब्दों में धारा 32 बी पर विचार किया हैः

एफ.

जी.

“13. निचली अदालत ने आरोपी अपीलार्थी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8/20 (बी) (II) (सी) के तहत इस आधार पर 12 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है कि आरोपी अपीलार्थी के कब्जे से उक्त प्रतिबंधित (गांजा) की भारी मात्रा बरामद की गई है।रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है

एच.

यह दिखाने के लिए कि अभियुक्त अपीलार्थी ने कोई ऐसा कार्य किया था जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 32 बी के किसी भी खंड के तहत हो सकता है।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों में से किसी के अभाव में न्यूनतम सजा से अधिक सजा नहीं दे सकता है क्योंकि ये शर्तें उन कारकों के अतिरिक्त हैं जिन्हें न्यायालय अभियुक्त को उच्च सजा देने में उचित समझे।हाथ में मामले में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त अपीलार्थी और पिछला आपराधिक इतिहास या वह एक पूर्व दोषी है और अपीलार्थी अब वर्षों में आगे बढ़ गया है और उसकी आयु लगभग 56 वर्ष है जैसा कि अभियुक्त अपीलार्थी की ओर से दायर पूरक हलफनामे में उल्लेख किया गया है।निर्विवाद रूप से अभियुक्त अपीलार्थी के पास भांग की खुदरा दुकान का लाइसेंस था।इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना है कि अपीलार्थी को दिए गए 12 साल के कठोर कारावास की सजा को उसके द्वारा पहले से बिताए गए कारावास की अवधि में कम करने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, एक साल के कारावास की सजा को छह महीने के साधारण कारावास में कम करने से न्याय का उद्देश्य पूरा होगा।”20. एक अन्य मामला जिस पर अधिवक्ता ने भरोसा किया है वह जेल में है।

बी.

सी.

डी.

2015 की अपील No.894, राम आसरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ एक विद्वान

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने धारा 32 बी का उल्लेख करने के बाद निम्नलिखित टिप्पणी कीः

ई.

"59.....इस न्यायालय की राय में, यदि उक्त धारा को अधिक ध्यान से पढ़ा जाता है, तो यह प्रकट होगा कि इसमें उपयोग किए गए शब्द "वह उचित समझ सकता है", इसलिए "हो सकता है" शब्द इंगित करेगा कि न्यायालय के लिए यह विवेकाधीन होगा कि वह उन आधारों को ध्यान में रखे जो उक्त धारा की उप-धारा (ए) से (एफ) में उल्लिखित हैं, जबकि न्यूनतम निर्धारित से अधिक सजा प्रदान करता है।इसलिए विद्वान न्यायमित्र द्वारा इस संबंध में दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया गया है कि इस मामले में दी गई सजा को इस बात को ध्यान में रखते हुए कम करने की आवश्यकता है कि निचली अदालत ने उपरोक्त कारकों को ध्यान में नहीं रखा है।"

एफ.

जी.

21. कृष्ण में विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचार

मुरारी पाल और राम आसरे (ऊपर) सही ढंग से दायरे को देखते हैं और

धारा 32 ख का दायरा।

एच.

261

रफिक कुरैशी बनाम नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरियो ईस्टर्न जोनल यूनिट [अशोक भूषण, जे.]

ए.

22. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि पदार्थ की मात्रा के आधार पर न्यूनतम से अधिक सजा के लिए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है, भले ही अदालत ने धारा 32 बी के तहत खंड (ए) से (बी) में उल्लिखित कारकों को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि, धारा 32 बी, (ए) से (एफ) में उल्लिखित कारकों के अलावा किसी भी कारक को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय न्यूनतम सजा से अधिक सजा देता है, इसकी उच्च न्यायालयों द्वारा जांच की जा सकती है कि क्या न्यायालय द्वारा विचार में लिया गया कारक एक प्रासंगिक कारक है या नहीं।इस प्रकार ऐसे मामले में जहां न्यायालय एक अप्रासंगिक कारक पर निर्भर करते हुए न्यूनतम से अधिक दंड लगाता है और धारा 32 बी (ए से एफ) में उल्लिखित कोई अन्य कारक न्यूनतम से अधिक दंड का अधिनिर्णय प्रस्तुत नहीं करता है, उसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

बी.

सी.

23. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि अपीलार्थी से हेरोइन की कुल मात्रा 8.175 किलोग्राम बरामद की गई थी, लेकिन हीरोइन की वास्तविक मात्रा जो कब्जे में पाई गई थी, केवल 609.6 ग्राम थी।उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 609.6 ग्राम की विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के पास मादक पदार्थ पाए गए थे।जो वाणिज्यिक मात्रा से बहुत अधिक है, न्यूनतम से अधिक सजा उचित है।उच्च न्यायालय ने सजा को 18 साल से घटाकर 16 साल कर दिया।हम, इस प्रकार, निचली अदालत और उच्च न्यायालय के न्यूनतम से अधिक सजा देने के फैसले को बरकरार रखते हैं, हालांकि, वर्तमान मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस तथ्य सहित कि उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया गया था कि अपीलकर्ता केवल एक वाहक था, हम पाते हैं कि सजा को 16 साल से घटाकर 12 साल करने में न्याय के उद्देश्यों को कम किया जाएगा।इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए अपीलार्थी को 12 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। 2 लाख और इस तरह के जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर अपीलार्थी को छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।अपील को आंशिक रूप से ऊपर बताए गए हद तक अनुमति दी गई है।

डी.

ई.

एफ.

दिव्या पांडे

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

जी.

एच.